


96
2024


फर्द अहकाम
(नियम 26)


अदालत..... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैथल

मुकदमा नं० रामनाथ बनाम राजस्थान सरकार सन 202

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की नामील में जारी हुए
-----------	-----------------------------------	--

16/24 प्राथी के अधिवक्ता श्री के० उलमीता एडवोकेट ने उर्फ प्राथी (बाजदासरी) उल्लेखित धारा 188 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में पेश किया गया / रामनाथ vs राज० सरकार का फैसला दिनांक 07/02/24 को हुकाते / जिसे दर्ज का मुलपत्रावली तलब का संलग्न करे व बाजदासरी पत्रावली दिनांक 27/06/24 को पेश हो। 

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। डापार्चू अनुपायित ही डापार्चू गण की तलबी नोटिस सम्मन धारित हो पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 16/7/2024 को पेश हो। 

16/7/24 पत्रावली पेश हुई। प्राथी व अपाथी अनुपस्थित हैं। उनके न्यायालय में क्लक क्लक कर लाट लाट आवाज धिलवाई गई। परन्तु कोई भी न्यायालय समय तक उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकारा आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत अयम काजरी व अयम पेशी में स्वीरज किया जाता है। प्रकारा फैसल सुनार द्वारा सुनने से काम है। तथा शकत शरिखल का। 

उपखण्ड अधिकारी
सैथल